आंगनबाड़ी-विद्यालय समन्वयन राजस्थान

आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्यालयों के साथ समन्वयन

आंगनबाड़ी केन्द्रों का राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वयन हेतु शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग तथा प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक **16.02.2026** को संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए।

समन्वयन के उद्देश्य

- आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं का 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा 1 में आसानी से नामांकन सुनिश्चित किया जाना।
- बच्चों के समग्र विकास हेतु आनंददायी एवं प्रेरक वातावरण प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना।
- संस्थाप्रधान, मेंटरिंग शिक्षक एवं सीडीपीओ के पर्यविक्षण के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रभावी संबलन किया जाना।
- राज्य में विद्यार्थी ड्रॉप आउट दर में कमी लाना।
- प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि करना।

आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्यालयों के साथ निम्नानुसार मैपिंग/ समन्वयन किया जा सकेगा

क्र.	समन्वयन का प्रकार	प्रमुख प्रावधान
1	भौतिक रूप से समन्वयन	• विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र। • शहरी क्षेत्र में विद्यालय से 500 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 किमी के दायरे में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को यथासंभव विद्यालय से भौतिक रूप से समन्वित करना।
2	निकटवर्ती विद्यालय से प्रशासनिक समन्वयन / मैपिंग	• जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का भौतिक समन्वयन संभव नहीं है, उन्हें निकटवर्ती राजकीय विद्यालय से प्रशासनिक रूप से मैप करना।
3	PEEO / UCEEO विद्यालय से मैपिंग	• जो आंगनवाड़ी केंद्र उपरोक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आ पाते, उन्हें नजदीकी PEEO / UCEEO विद्यालय से मैप किया जाएगा।

आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्यालयों के साथ निम्नानुसार मैपिंग/ समन्वयन किया जा सकेगा

1 भौतिक समन्वयन

- भवन-विहीन / किराये के भवन में संचालित केन्द्रों को प्राथमिकता
- EWS, जनजातीय क्षेत्र, शहरी कच्ची बस्तियों एवं प्रवासी परिवारों के बच्चों पर विशेष ध्यान
- विद्यालय परिसर में संचालित AWCs को विद्यालय की प्रक्रिया से जोड़ना
- 500 मीटर (शहरी) / 1 किमी (ग्रामीण) दायरे में निकटतम केन्द्र को विद्यालय परिसर में समन्वित करना

2 विद्यालय से मैपिंग

- जिन केन्द्रों का विद्यालय परिसर में स्थानान्तरण संभव नहीं है उन्हें कक्षा-1 संचालित निकटतम राजकीय विद्यालय से मैप करना

3 PEEO / UCEEO से मैपिंग

- जो केन्द्र भौतिक समन्वयन या विद्यालय मैपिंग में शामिल नहीं हो पा रहे
- तथा 500 मीटर (शहरी) / 1 किमी (ग्रामीण) सीमा से बाहर हैं
- उन्हें नजदीकी PEEO / UCEEO विद्यालय से मैप किया जाएगा

आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों के बीच समन्वयन

1. संयुक्त गतिविधियाँ

•संयुक्त गतिविधियों का संचालन- जैसे वार्षिक समारोह, बाल मेला,PTM
•पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा (ECCE) गतिविधियों का नियमित निरीक्षण
•दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का संयुक्त पर्यवेक्षण
•आंगनवाड़ी व विद्यालयों के सहयोग से संयुक्त प्रवेशोत्सव आयोजित कर 5–6 वर्ष के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण – प्री स्कूल किट, टीएलएम , गतिविधि कार्नर , सुव्यवस्थित कक्ष, सामग्री की उपलब्धता आदि

3. विद्यालय–आंगनवाड़ी समन्वय (ICDS एवं शिक्षा विभाग)

•ब्लॉक एवं जिला स्तर की बैठकों में ICDS और पूर्व प्राथमिक शिक्षा गतिविधियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
•विद्यालय–आंगनवाड़ी समन्वय से संबंधित नामांकन, आधारभूत सुविधाएँ एवं संसाधनों की जानकारी संबंधित पोर्टलों पर अद्यतन की जाएगी।
•संस्था प्रधान/पीईईओ द्वारा मासिक दौरा कर संयुक्त गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।

मुख्य शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास अधिकारी के दायित्व एवं जिम्मेदारी

जिला शिक्षा अधिकारी और उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास के स्थानीय स्तर पर समन्वय के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। वे स्थानीय हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें संयुक्त गतिविधियों के बारे में जागरूक करने के लिए आंगनवाड़ी/प्रधानाध्यापकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों की संयुक्त बैठकों आयोजित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी और उपनिदेशक को बीआरसी/सीआरसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों, जिला निगरानी बैठकों में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन, प्रबंधन एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की जाए। उक्त बैठकों में प्राप्त सुझाव/निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार दोनों विभागों में साझा किया जाए।

समन्वित केंद्रों पर ईसीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सीडीपीओ एवं बीईईओ की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएं।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के दायित्व एवं जिम्मेदारी

मासिक बैठकों के आधार पर समन्वित केंद्रों के प्रगति की समीक्षा करें एवं योजना के संबंध में आवश्यक सुझाव प्रदान करें तथा समन्वित केंद्रों पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध रहे, इस हेतु संबंधित द्वारा एक सेक्टर वार केंद्रों के संसाधनों की मैपिंग करें।

गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी ईसीसीई हेतु कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण/कार्यशाला/क्लस्टर बैठकें आयोजित करें ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

ब्लॉक स्तर पर उपयुक्त अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकें, ब्लॉक निगरानी बैठकों में आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रभावी संचालन, प्रबंधन एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की जाए तथा बैठक में प्राप्त सुझाव/निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं आवश्यकतानुसार दोनों विभागों में समन्वय स्थापित किया जाए।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर तीन वर्षीय बच्चों को छोड़कर शेष बच्चों का लगभग 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय एवं संस्था प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि आउटकम लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

समन्वित आंगनवाड़ी केंद्रों पर मासिक, साप्ताहिक योजना के धरातलीय क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बीईईओ/सीडीपीओ निरीक्षण करना सुनिश्चित करें जिससे ईसीसीई की गुणवत्ता एवं उपलब्ध सामग्री का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके.

BRC/CRC को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय अपनी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं, संसाधनों, शिक्षण प्रक्रियाओं को साझा करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग करें।

संस्था–प्रधान के दायित्व एवं जिम्मेदारी

- विद्यालय के भौतिक संसाधन (शौचालय, पेयजल, बिजली, खेल स्थान, स्वच्छ परिसर आदि) आंगनवाड़ी बच्चों व कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराएं।
- आंगनवाड़ी के आने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित इन्डोर/आउटडोर खेल व सीखने का स्थान सुनिश्चित करें।
- संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ समन्वय रखते हुए मेंटर–टीचर की नियुक्ति, दैनिक समय–सारिणी का संचालन करें।
- विद्यालय की शैक्षिक और अन्य गतिविधियों (बालसभा, विशेष दिवस, उत्सव आदि) में आंगनवाड़ी बच्चों और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
- कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों के साथ नियमित बैठक कर फीडबैक, संसाधन, पोषण, उपलब्धता और सुधार पर संयुक्त समीक्षा करें।
- एसएमसी/एसडीएमसी की बैठकों में सक्रिय भाग लें और प्राप्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- विद्यालय विकास से योजना संबंधी चर्चाओं और बैठकों में आंगनवाड़ी केंद्र को शामिल कर पूर्व–प्राथमिक शिक्षा पर संयुक्त कार्य करें।

शालादार्पण पर आंगनबाड़ी का विद्यालय से समन्वयन का डाटा फीडिंग

PEEO द्वारा शालादार्पण में आंगनबाड़ी समन्वयन से सम्बंधित जानकारी **14 मार्च तक** भर ली जाए।

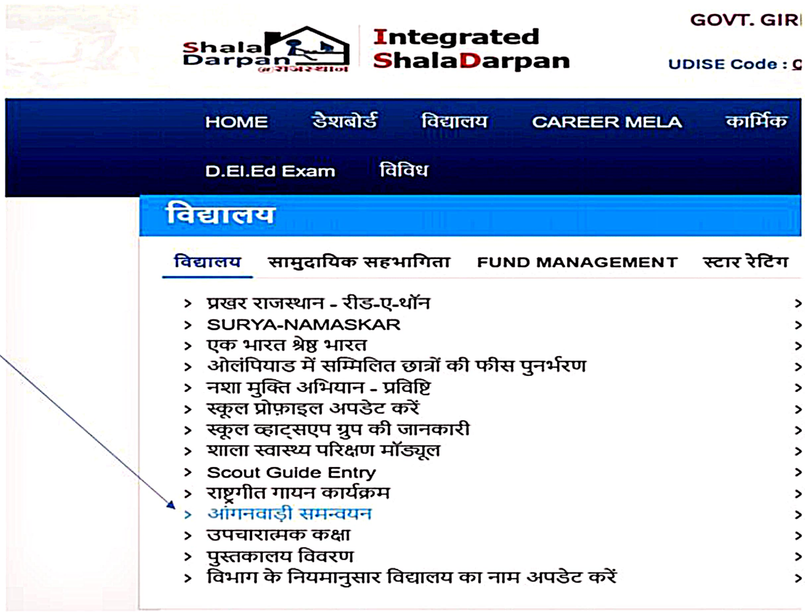

डाटा फीडिंग एवं मोनिटरिंग

नवीन मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी समन्वयन (Anganwadi Co-location/Mapping) से संबंधित डेटा का फीडिंग कार्य PEEO द्वारा किया जाएगा।

जिला स्तर पर इस कार्य की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा की जाएगी

ब्लॉक स्तर पर निगरानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा की जाएगी।

सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के भौतिक समन्वयन/मैपिंग से संबंधित डेटा का अद्यतन कार्य **14 मार्च तक अनिवार्य** रूप से पूर्ण कर लिया जाए।